

न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कानपुर-देहात।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1440/2026

रमेश सिंह

बनाम

सरकार

दिनांक-10.07.2026

आज यह जमानत प्रार्थना पत्र वास्ते सुनवायी पेश हुआ। पुकार पर प्रार्थी/अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विगत तिथियों में बहस नहीं की गयी है। न्यायालय दिनांक 06.07.2026 को बहस हेतु अंतिम अवसर दिया गया था। आज प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी/अभियुक्त की अनुपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि वह जमानत प्रार्थना पत्र बल नहीं देना चाहता है। ऐसे में जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त की अनुपस्थिति में निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र उसकी अनुपस्थिति में अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०),
कानपुर देहात।